नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 118.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 का 29) की धारा 6 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड में सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा, में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सचिव	एक	लागू नहीं होता	12000-375-16500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
10	11
प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/लोक सैक्टर उपक्रमों/स्वशासी निकायों/कृषि विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी : (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये हैं, या (2) जिन्होंने 10,000-325-15200 रु. के समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास कार्मिक प्रशासन, बजट रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करने, बैठकें आयोजित करने और सम्पर्क कार्य का पांच वर्ष का अनुभव है। (बोर्ड में प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि) जिसके अन्तर्गत किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की पूर्ववर्ती अवधि भी है। (पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
12	13
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सचिव (कृषि और सहकारिता) —अध्यक्ष 2. विशेष सचिव/अवर सचिव, जो राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड से संबंधित कार्य का भारसाधक है —सदस्य 3. कृषि आयुक्त—सदस्य 4. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड —सदस्य 5. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 2-22/95-सी. ए.-VI]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2000

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18, read with sub-section (3) and (4) of Section 6 of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 (29 of 1983) and in supersession of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board (Secretary) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board (Secretary) Recruitment Rules, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schtduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Secretary	One	Not applicable	Rs. 12000-375-16500

Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications specified for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)
Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, the grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation/short-term contract	Deputation (including short-term contract) : (a) Officers from Central Government/State Government/Indian Council of Agricultural Research/Public Sector Undertakings/Autonomous bodies/Agricultural Universities holding :

	(11)
	(i) analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years' regular service in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 or equivalent ; and (b) possessing 5 years' experience in administration of personnel, preparation of budget reports and documents, conducting meeting and liaison work. [The total period of deputation in the Board (including the earlier period of deputation in any other post) shall not exceed 5 years].

If a Selection Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Selection Committee consisting of :— 1. Secretary (Agriculture and Cooperation)—Chairman 2. Special Secretary/Additional Secretary in charge of the work relating to National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board —Member 3. Agriculture Commissioner —Member 4. Executive Director, National Oil seeds and Vegetable Oils Development Board —Member 5. Joint Secretary (Administration) —Member	Not applicable

[File No. 2-22/95-CA.-VI]
P.D. SUDHAKAR, Jt. Secy.